बेरुखी 70 वर्षीय चमेली बाई की टूटी चौखट से झांक रही व्यवस्था की बेरुखी

नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

नवभारत, जबलपुर। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और भीतर एक 70 वर्षीय वृद्धा अपनी टूटी-फूटी झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। सिर पर पन्नी से ढकी छत, दीवारों में चौड़ी दरारें और हर पल ढह जाने का डर... यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि कुण्डम तहसील की ग्राम पंचायत झिरमिला ,ग्राम अम्हेटा निवासी चमेली बाई काछी के जर्जर आशियाने का है जहाँ वह अपनी जिन्दगी काटने को मजबूर हैं।

हर बारिश के साथ चमेली बाई एक ही दुआ करती हैं— 'बस आज की रात घर गिरने से बच जाए।' लेकिन वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नाम आने का इंतजार कर रही इस वृद्धा तक अब तक सरकारी योजना नहीं पहुंच सकी।

बारिश के इस मौसम में जब हर किसी को सुरक्षित छत की जरूरत है, तब अम्हेटा गांव के कई पात्र परिवार आज भी जर्जर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। मजबूरी इतनी बढ़ गई कि ग्रामीण अपनी पीड़ा लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और जल्द आवास स्वीकृत करने की गुहार लगाई।

चमेली बाई बताती हैं कि हर मानसून में छत टपकती है, दीवारों की दरारें और चौड़ी हो जाती हैं , पूरी रात भय के साये में जागकर बिताते हैं। पन्नी और तिरपाल अब उनके घर की छत का स्थायी हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन यह अस्थायी सहारा कब तक किसी हादसे को टाल पाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

गांव के रमेश कुमार का दर्द भी अलग नहीं है। उनका कहना है कि वर्षों से पंचायत और सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला।

उधर गीता बाई को भी इस बार उम्मीद थी कि उनका नाम सूची में होगा, लेकिन फिर निराशा हाथ लगी। उन्होंने भी शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की।

जिम्मेदारों के जवाबों ने बढ़ाए सवाल

जब इस संबंध में ग्राम पंचायत झिरमिला की सचिव रोशनी तेकाम से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया की सर्वे और सत्यापन हुआ था, लेकिन पात्र ग्रामीणों के नाम सूची में क्यों नहीं आए, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं है।

वहीं इस पूरे मामले में कुण्डम के नोडल अधिकारी मुकेश वासनिक का जवाब भी सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि सूची देखकर ही बता पाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है की यदि सर्वे भी हो चुका और पात्रता भी सामने है, तो आखिर इन गरीब परिवारों का नाम सूची से बाहर कैसे रह गया? जिम्मेदारी किसकी है और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?

बारिश नहीं, प्रशासनिक सुस्ती बनी सबसे बड़ी चिंता

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन अम्हेटा जैसे गांवों में यह योजना अब भी अधर में दिखाई दे रही है। बरसात के बीच दरकी दीवारों और पन्नी से ढकी छतों के नीचे जीवन बिताने को मजबूर परिवारों के लिए हर बादल मौत का डर लेकर आता है। ऐसे में अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं यदि समय रहते पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत नहीं हुए तो किसी बड़े हादसे के बाद होने वाली कार्रवाई शायद उन जिंदगियों को वापस नहीं ला सकेगी, जो आज भी एक सुरक्षित छत के इंतजार में हैं।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद टोल 70 प्रतिशत घटा, पूर्णत: टोल माफी से इंकार

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ नक राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर शाहपुरा रेलवे ओवरब्रिज के ध्वस्त हिस्से से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि कोर्ट के संज्ञान के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शाहपुरा टोल प्लाजा पर यूजर फीस में करीब 70 प्रतिशत की कटौती कर दी है। कोर्ट ने फिलहाल टोल वसूली पूरी तरह बंद करने से इनकार कर दिया, लेकिन मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए विशेषज्ञ की राय लेने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 55.60 किमी लंबे मार्ग में केवल 4.8 किमी हिस्सा डायवर्ट है, इसलिए पूर्ण टोल माफी का आधार नहीं बनता। हालांकि, एनएचएआई द्वारा 24 जून 2026 से टोल दरों में लगभग 70 प्रतिशत कमी किए जाने को रिकॉर्ड पर लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पौड़ी (एलसी-302) रेलवे गेट खोलने की मांग भी की गई, लेकिन रेलवे ने सुरक्षा, तकनीकी बाधाओं, इंटरलाकिंग सिस्टम, रेलवे बोर्ड व सीआरएस की मंजूरी तथा 8.10 करोड़ रुपये की लागत सहित कई कारण बताते हुए इसका विरोध किया। इन कारणों के आधार पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं मप्र सडक़ विकास निगम ने बताया कि क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए निविदा जारी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अंतिम निर्णय से पहले सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता अखिलेश मिश्रा से यह राय ली जाए कि ओवरब्रिज को सबसे कम समय में सुरक्षित रूप से कैसे चालू किया जा सकता है। रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। न्यायालय ने मामले को निगरानी के लिए 30 अगस्त को अगली सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया है।

एक नजर में

एटीएम बदल शिक्षिका से 38 हजार की ठगी

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर स्थित एसबीआई एटीएम में जालसाज ने एक शिक्षिका का एटीएम कार्ड बदलकर 38,500 रुपये पार कर दिए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पटेल नगर निवासी शिक्षिका शिवानी शर्मा (45) अपनी सास के कार्ड से पैसे निकालने गई थीं। उन्होंने 1500 रुपये निकाले, तभी वहां खड़े 30-35 वर्षीय अज्ञात युवक ने कहा कि ट्रांजैक्शन अधूरा है, आप दोबारा पिन डालें। महिला ने जैसे ही पिन डाला, आरोपी ने नंबर देख लिया और नजर बचाकर असली एटीएम कार्ड निकालकर उन्हें सुरेन्द्र कुमार नामदेव के नाम का फर्जी कार्ड थमा दिया। घर लौटने पर खाते से पैसे कटने का मैसेज आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

युवक ने लगाई फांसी

नवभारत, जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत सुंदरपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । मृतक ने यह अत्मघाती कदम किन परिस्थितियों में उ ठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है । पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को रामप्रसाद कोल 50 वर्ष निवासी सुंदरपुर ग्राम खितौला ने सूचना दी कि सुबह लगभग 9 बजे अपने खेत में काम करने गया था सुबह लगभग 11-30 बजे उसके नाती समीर कोल ने खेत में आकर बताया कि भाई वीरेन्द्र कुमार कोल ने घर की सीलिंग में लगे लोहे के कड़े से सीढ़ी से साड़ी बांधकर फांसी लगाकर लटका है। वह नाती के साथ घर आकर देखा उसका नाती वीरेन्द्र कुमार सीलिंग से साड़ी का फंदा लगाकर मृत अवस्था में फांसी पर लटका था। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

14 किसानों की फसल बेची, 4 .44 लाख हड़पे

तीन गल्ला व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। तीन गल्ला व्यापारियों ने मक्का, गेंहू एवं सरसो की फसल को 14 किसानो के घर घर जाकर खरीदा और बेच दिया। बेची गई फसल की रकम 4.44 लाख रूपए हड़प ली । पीड़ित किसानों की रिपोर्ट पर बेलखेड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गल्ला व्यापारी राहुल शर्मा पिता मुन्नालाल निवासी केदारपुर थाना चरगवां, सुमित गोटिया पिता टीकाराम निवासी कुवरपुर थाना पाटन, अंकित पिता रामखिलावन गोस्वामी निवासी घाटमाला तहसील पाटन के द्वारा मक्का, गेंहू एवं सरसो की फसल को किसानों के घर घर जाकर खरीदा।

खरीदे हुये फसल के कुछ किसानो के कुछ पैसे दिये गये है बाकी पैसा बाद में चुकता करने को कहा कुछ किसानो को 15-20 दिन एवं कुछ किसानो को एक माह बाद रूपये पैसा देने का वादा कर किसानो की फसल खरीद कर ले गये। लेकिन किसानो की फसल को बेच कर हिसाब चुकता नही किये है। बेची हुई फसल की रकम 4,44,375 रूपए हड़प ली।

इन किसानों को ठगा

गल्ला व्यापारियों ने प्रमोद भुर्रक पिता शिवकुमार, वीरेन्द्र साहू पिता गणेश कुमार साहू, चंचल गलबले पिता बालकृष्ण गलबले, आशीष उर्फअभिषेक गोटिया, विनय छिरा पिता मुखी छिरा, आशीष ओखले पिता सूरजभान , सुखचौन औखले पिता संतोष ओखले, सुभाष शर्मा पिता अमरदास निवासी कुवरपुर, संतोष साहू पिता रामेश्वर प्रसाद साहू, साक्षी, लवकेश नवेरिया, शेख अब्दुल पिता शेख छोटे खान, राम सिह पिता कौशल सिह लोधी, अरविंद कुमार बेहुनिया पिता राजकुमार , सत्यम दुबे पिता चंद्रप्रकाश दुबे को ठगा है।

दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, स्टेशन पर लगे ब्रेल साइनेज

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल ने दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। जबलपुर और सतना रेलवे स्टेशनों पर ब्रेल साइनेज स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से दृष्टिबाधित यात्री स्टेशन परिसर में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की जानकारी स्पर्श आधारित ब्रेल लिपि से प्राप्त कर सकेंगे।

इस व्यवस्था से यात्रियों को स्टेशन पर स्वतंत्र रूप से आवागमन करने में सुविधा मिलेगी और दूसरों पर उनकी

निर्भरता भी कम होगी।वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा ने बताया कि ब्रेल साइनेज में प्रवेश एवं निकास द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर, फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), प्लेटफॉर्म सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा अनुप्रयास सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा स्थापित की गई है। इसके लिए जबलपुर स्टेशन पर 7.35 लाख और सतना स्टेशन पर 6.12 लाख की लागत आई है।

सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराना है

रेलवे के अनुसार यह पहल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 और भारतीय रेलवे की सुलभ एवं समावेशी अवसंरचना विकसित करने की नीति के अनुरूप है। ब्रेल साइनेज की स्थापना से दोनों स्टेशन दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए अधिक सुलभ और समावेशी बनेंगे। रेलवे का कहना है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और समान अवसरों पर आधारित यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

कारों की ब्लैक फिल्म उतरवाई, ओवरलोडिंग पर कार्रवाई

यातायात नियमों का उल्लंघन काटे गए 14 चालान

नवभारत, जबलपुर। कैंट थाना अंतर्गत यादगार चौक पर चलित न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) लगाकर विशेष कार्यवाही की गई। जेएमएफसी स्वास्तिक सावंत के नेतृत्व में यातायात पुलिस गढ़ा और कैंट की संयुक्त टीम ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 14 चालान काटकर मौके पर 6500 रुपये शमन शुल्क वसूला।

इस दौरान क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, आगे की सीट पर यात्री बैठाने वाले ऑटो चालकों और कारों में अवैध रूप से ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर सख्त एक्शन लिया गया। पुलिस ने मौके पर ही कारों से काली फिल्म उतरवाई और चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। विदित हो कि एएसपी यातायात अखिलेश तिवारी के मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न चौराहों पर लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में न्यायालय के निर्देशानुसार थाना कैंट अंतर्गत यादगार चौक पर मोबाइल कोर्ट लगाकर बड़ी कार्यवाही की गई। कार्यवाही में यातायात गढ़ा निरीक्षक वीरेंद्र आरख, सहायक उप निरीक्षक मंगल सिंह, प्रधान आरक्षक इरफान खान, आरक्षक नितिन यादव, कैंट उप निरीक्षक मनोज पंचबुद्धे, प्रधान आरक्षक अखिलेश, भूपेन्द्र पटेल, आरक्षक प्रमोद सिंह, अमरीश शुक्ला और महिला आरक्षक रेणुका मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

चालकों को दी गई सख्त हिदायत

चलित न्यायालय की कार्यवाही के दौरान केवल जुर्माना ही नहीं वसूला गया, बल्कि चालकों की काउंसलिंग भी की गई। ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को सख्त हिदायत दी गई कि वे केवल तय क्षमता के अनुसार ही यात्रियों को बैठाएं। साथ ही सफर के दौरान यात्रियों के साथ शालीन और अच्छा व्यवहार करें ताकि उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके।

एसबीसी चुनाव : राकेश भदौरिया मतगणना में सबसे आगे

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिलन निर्वाचन-2026 की मतगणना का कार्य शुक्रवार को भी शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से जारी रहा। इस दौरान टीकमगढ़, बडऩगर, महिदपुर, तराना, खाचरोद, नागदा और उज्जैन की मतपेटियों की सफलतापूर्वक गणना पूरी की गई। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार मतगणना स्थल पर सुरक्षा और अनुशासन की समुचित व्यवस्था रही तथा प्रत्येक चरण समयबद्ध तरीके से संपन्न हो रहा है। अब तक की प्रथम वरीयता मतों की गणना में राकेश सिंह भदौरिया बढ़त बनाए हुए हैं। उनके बाद विवेक सिंह, आरके सिंह सैनी, संदीप मेहता और नरेंद्र कुमार जैन का स्थान है। महिला प्रत्याशियों में प्रवीण तिवारी सबसे आगे हैं, जबकि अनु पटेल, प्रतीका पाठक, रश्मि हेमंत जैन और प्रतिभा वालिया क्रमश: अगले स्थानों पर हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि चुनाव में लगभग 62 हजार मत पड़े थे। इनमें से अब तक 60,370 मतपत्रों की गणना पूरी हो चुकी है। कुल 58,306 मतपत्र वैध पाए गएए जबकि 2,064 मतपत्र नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्त कर दिए गए।

इंजीनियरिंग कॉलेज के खंडहर हॉस्टल में मिली लाश

छानबीन में जुटी पुलिस, मृतक की पहचान के प्रयास

नवभारत, जबलपुर। रांझी थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के एक खंडहर हो चुके हॉस्टल में करीब 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर मर्ग कायम कर छानबीन शुरू कर दी ।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को संदेश कुमार राय 30 वर्ष, निवासी जेईसी कॉलेज ने रांझी सूचना दी कि इंजीनियरिंग कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के खंडहर हॉस्टल नंबर 05 के ग्राउंड फ्लोर पर एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतक की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच आंकी जा रही है, प्राथमिक तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि व्यक्ति की मौत बीती रात 11 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे के बीच हुई है। पुलिस ने शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस फिलहाल आसपास के थानों और गुमशुदगी के रिकॉर्ड खंगालकर मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है।

टिकट चेकिंग स्टाफ की सतर्कता से घर से भागा किशोर सुरक्षित मिला

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ की सतर्कता और संवेदनशीलता से घर से भागे एक 16 वर्षीय किशोर को सुरक्षित बचाकर आरपीएफ और जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

23 जुलाई को ट्रेन संख्या 12142 में ड्यूटी के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ के दिलीप कुमार जायसवाल ने प्रयागराज छिवकी से जबलपुर के बीच कोच बी-2 के पास एक किशोर को संदिग्ध अवस्था में अकेले यात्रा करते हुए देखा। पूछताछ में किशोर ने अपना नाम गुरुप्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम कोल्हूडीह, जिला

सीधी बताया और कहा कि वह घर से भागकर आया है। कोच बी-2 के अटेंडेंट श्री ब्रजेश कुशवाहा की मौजूदगी में किशोर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उसे आगे की विधिसम्मत कार्रवाई के लिए आरपीएफ और जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया।

पश्चिम मध्य रेलवे ने कहा कि यात्रियों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से रेलवे कर्मचारी ऐसे मामलों में सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

29 की उम्र में 30 अपराध : गैंगस्टर पर लगा रासुका

पुलिस ने गिरफ्तार कर निकाला जुलूस, एनएसए में भेजा जेल

नवभारत, जबलपुर। 29 की उम्र में 30 अपराध करने वाले गैंगस्टर को रांझी पुलिस ने रासुका में गिरफ्तार उसकी हेकड़ी निकाली। आरोपी जहां दहशतगर्दी फैलाता था वहां से उसका जुलूस निकाला गया जहां वे नागरिकों से कान पकड़कर माफी मांगते नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पकड़ा गया आरोपी बमबाजी, हत्या के प्रयास में फरार था । टीआई उमेश गोल्हानी ने बताया कि रांझी पुलिस ने शोभापुर में 28 मई को बंटी रजक के घर एवं एक शराब दुकान पर हुई बमबाजी, हत्या के प्रयास में मुख्य फरार आरोपी प्रवीण रजक पिता महेश प्रसाद रजक, 29 वर्ष, निवासी पुराना शोभापुर, रांझी, को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में आरोपी अमर खरे, सोनू उर्फ विजय पटेल दोनों निवासी संजय नगर एवं पवन रजक को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि एक अन्य आरोपी देवू अन्ना अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रवीण रजक को शोभापुर ब्रिज के नीचे से धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया।जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की पृथक से कार्यवाही की गयी आरोपी के विरुद्ध फरारी के अन्य 5 प्रकरणों में भी विधिवत गिरफ्तारी की गई है।

वर्ष 2017 से कर रहा था अपराध

रांझी थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि प्रवीण रजक वर्ष 2017 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गवाहों को धमकाने सहित कुल 30 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आम नागरिक उसके विरुद्ध शिकायत एवं सूचना देने से डरते थे। स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी राघवेन्द्र सिंह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी प्रवीण रजक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

निरीक्षण क्षेत्रों में हरित कार्यों के अलावा अन्य प्रस्तावित व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप देने अधिकारियों को दिए निर्देश

निगमायुक्त ने कृषि उपज मंडी से लेकर कठौंदा क्षेत्र का किया निरीक्षण

नवभारत, जबलपुर। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शुक्रवार को कृषि उपज मंडी से लेकर कठोंदा परिक्षेत्र का विस्तृत स्थल निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पूरे क्षेत्र का बारीकी से अवलोकन किया और हरित कार्यों के अलावा प्रस्तावित परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर व पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पूरे क्षेत्र को योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए,

जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने क्षेत्र में स्वीकृत एवं प्रस्तावित सभी कार्यों को बिना किसी देरी के शुरू करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने की बात कही।

इस अवसर पर उन्होंने कृषिउपज मंडी से कठोंदा तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखने, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और यातायात प्रवाह को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि ?शहर के प्रत्येक क्षेत्र का सुव्यवस्थित कराना नगर निगम की प्राथमिकता है। इस अवसर पर निगमायुक्त के साथ नगर निगम के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।